न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3768–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–10–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर प्रकरण कमांक 18/अ–13/2011–12.

1– मांगीलाल पुत्र फकीरा
2– राधेश्याम पुत्र मांगीलाल गायरी
3– बगदीराम पुत्र कालु कुम्हार
4– रामलाल पुत्र केशुराम कुम्हार
5– ओमप्रकाश पुत्र केशुराम कुम्हार
निवासीगण मल्हारगढ़
तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– वशीर खां पुत्र मोहम्मद खां
2– रफीक एहमद पुत्र लतीफ एहमद
3– फरीद हुसैन पिता लतीफ एहमद
4– जुबेदा खातुन बेवा लतीफ एहमद
निवासीगण मल्हारगढ़
तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर .....असल अनावेदकगण
5– कमला बाई बेवा कन्हैयालाल कुम्हार
6– गोपाल पिता कन्हैयालाल कुम्हार
7– संजय पिता कन्हैयालाल कुम्हार
8– बबली बाई पिता कन्हैयालाल कुम्हार
9– कौशलया बाई बेवा फकीरचंद कुम्हार
10– कुलदीप पिता फकीरचंद कुम्हार
11– महेश पिता फकीरचंद कुम्हार
निवासीगण मल्हारगढ़
तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर .....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 से 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/, प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा तहसीलदार, तहसील मल्हारगढ़ के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वे ग्राम मल्हारगढ़ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 365 एवं 376 के भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी हैं। उनकी भूमि पर आने–जाने हेतु एक मात्र उपलब्ध था, जिसे अनावेदकगण द्वारा फाड़कर अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । उनके द्वारा प्रकरण के निराकरण तक अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ–13/2011–12 दर्ज कर दिनांक 13–10–2014 को आदेश पारित कर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत नहीं है, और अनावेदकगण के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है । यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत होना नहीं पाया गया है, बल्कि प्रश्नाधीन रास्ता आवेदकगण की भूमि के बीच से होना पाया गया है, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा रास्ता देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

3/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाया जाकर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 को अंतरिम राहत दी गई है, और प्रकरण में अभी उनके द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलबध है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है, और स्थल निरीक्षण में आवेदकगण द्वारा पत्थर रखकर रास्ता रोका

जाना पाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा स्थल की परिस्थितियों को देखकर अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, और अंतिम आदेश के समय साक्ष्य ली जाकर आदेश पारित किया जाता है । अतः अभी आवेदकगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है ।

तर्कों के समर्थन में 1989 आर.एन. 340 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त अभी तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर